



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232335
CG-DL-E-01012022-232335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5091]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2021/पौष 10, 1943

No. 5091]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021/PAUSHA 10, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5497(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपशिष्ट टायर के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) हेतु विनियम प्रकाशित करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित ढंग से उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों और अन्य हितधारकों के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है और इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना पर केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में डाक द्वारा सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: mishra.vp@gov.in या vinodsingh.77@gov.in पर इलैक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसा कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

अपशिष्ट टायर को प्रबंधित करने हेतु स्वरूप में परिवर्तन हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए टायर और रबड़ पुनर्चक्रण उद्योग में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक समिति गठित की गई थी;

और, उस समिति में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड, सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र

विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत, भारतीय तेल निगम लि., अखिल भारतीय रबड़ एवं टायर पुनर्चक्रण संघ (एआईआरटीआरए), ऑटोमोटिव विनिर्माता संघ (एटीएमए), भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ (आईआरएमआरए), टीना रबड़ एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आदित्य बिरला समूह, जीआरपी लि. आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं;

और, मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट टायर को प्रबंधित करने हेतु स्वरूप में परिवर्तन हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए टायर और रबड़ पुनर्चक्रण उद्योग में चक्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सभी हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था;

और, हितधारकों के साथ हुई बैठकों के परिणामों और इस विषय पर विशेषज्ञ समिति से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके, मंत्रालय द्वारा टायर कबाड़; चक्रीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अपशिष्ट टायर के प्रबंधन के लिए ईपीआर संबंधी सिफारिशें शामिल हैं। इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया और अगस्त, 2021 में नीति आयोग को प्रस्तुत किया गया;

अतः अब, पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, समय-समय पर यथा-संशोधित परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत, अपशिष्ट टायर के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी विनियमों को अधिसूचित करती है:

अपशिष्ट टायरों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी विनियम

1. पृष्ठभूमि

1.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन को अधिदेशित किया गया है। अपशिष्ट न्यूमेटिक और अन्य टायर को अन्य अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें अनुसूची-III, भाग ख में बेसल सं. बी-3140 में सूचीबद्ध किया गया है।

1.2 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अपशिष्ट टायरों के प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी विनियम लाने का प्रस्ताव करता है। यह विनियम सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करके तथा अपशिष्ट टायर को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रबंधित करके अपशिष्ट टायर की अर्थव्यवस्था को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाकर संसाधन की आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु तैयार किया गया है।

2. प्रभावी होने की तारीख

यह विनियम वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू होगा।

3. परिभाषाएं

- (क) 'व्यापार' का अर्थ नए टायरों के उत्पादन/विनिर्माण, नए/अपशिष्ट टायरों के आयात तथा अपशिष्ट टायरों के पुनर्चक्रण का कोई कार्यकलाप है।
- (ख) 'परिवर्तन कारक' का अभिप्राय प्रत्येक पुनर्चक्रण उत्पाद की एक इकाई का उत्पादन करने हेतु आवश्यक अपशिष्ट टायर की इकाइयां हैं और यह खण्ड 7.1 (ii) के अनुसार सीपीसीबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (ग) 'अपशिष्ट टायर के पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रबंधन' का अर्थ है यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाना कि अपशिष्ट टायर को इस ढंग से प्रबंधित किया जाए कि ऐसे अपशिष्ट से होने वाले किन्हीं प्रतिकूल प्रभावों से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो सके।
- (घ) 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' का अर्थ है टायर के उत्पादक का इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अपशिष्ट टायर के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन को सुनिश्चित करने का दायित्व।
- (ङ) 'उत्पादक' का अर्थ ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा निकाय है जो;
- नए टायर का विनिर्माण करता है; या/और
 - नए टायर का आयात करता है; या/और
 - अपशिष्ट टायर का आयात करता है।
- (च) 'पुनर्चक्रण' का अर्थ है टायर अपशिष्ट को निम्नलिखित अंतिम उत्पादों में पर्यावरण के अनुकूल तरीके से परिवर्तित करने की प्रक्रिया या कार्य और सीपीसीबी द्वारा यथा जारी एसओपी/दिशानिर्देशों में यथोल्लिखित सुविधाएं रखना:

क) पुनः प्राप्त रबड़

- ख) क्रम्ब रबड़
 ग) क्रम्ब रबड़ से संशोधित बिटूमेन (सीआरएमबी)
 घ) पुनः प्राप्त कार्बन ब्लैक
 ङ) पाइरोलिसिस तेल/चार
- (छ) 'पुनर्चक्रक' का अभिप्राय पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में संलग्न किसी निकाय से है।
 (ज) 'पुनर्चक्रण लक्ष्य' का अर्थ है इस विनियम के खण्ड 6 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्चक्रित किए जाने वाले अपशिष्ट टायर की मात्रा।
 (झ) 'एसओपी' का अर्थ मानक संचालन कार्य-पद्धति है, जो सीपीसीबी द्वारा उपकरणों और प्रक्रियाओं की न्यूनतम अपेक्षा को विस्तृत रूप से वर्णित करके तैयार किया गया एक दस्तावेज है।
 (ञ) 'दिशानिर्देश' का तात्पर्य उस दस्तावेज से है जो सीपीसीबी द्वारा अपशिष्ट टायरों के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ ढंग से प्रबंधन, जिसमें अपशिष्ट टायर की संभलाई, एकत्रीकरण, परिवहन और भंडारण तथा पुनर्चक्रण शामिल है, के लिए न्यूनतम अपेक्षा का वर्णन करके तैयार किया गया है।
 (ट) 'पोर्टल' का अभिप्राय इस ईपीआर विनियमन के कार्यान्वयन के लिए सीपीसीबी द्वारा तैयार किया गया ऑनलाइन तंत्र है।
 (ठ) 'अपशिष्ट टायर' का अर्थ ऐसा टायर जिसे अब किसी वाहन में नहीं लगाया जाता है और जिसका उपयोग अब निर्धारित प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।

4. ईपीआर विनियमों के तहत शामिल किए जाने वाले निकाय

इस विनियम के तहत ईपीआर दायित्वों के अंतर्गत निम्नलिखित निकाय शामिल किए जाएंगे :

- (i) उत्पादक
 (ii) अपशिष्ट टायर का पुनर्चक्रक

5. पंजीकरण

5.1 निम्नलिखित निकाय सीपीसीबी के केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे :

- क) उत्पादक
 ख) अपशिष्ट टायर का पुनर्चक्रक

5.2 कोई भी निकाय पंजीकरण के बिना कोई भी व्यापार नहीं करेगा।

5.3 खंड 5.1 के तहत पंजीकृत निकाय किसी गैर-पंजीकृत उत्पादक/पुनर्चक्रक के साथ व्यापार नहीं करेंगे।

5.4 यदि कोई पंजीकृत निकाय पंजीकरण कराने या इस विनियम के तहत उपलब्ध कराए जाने/प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित रिटर्न/रिपोर्ट/सूचना प्राप्त करने हेतु गलत सूचना प्रस्तुत करता है या जान बूझकर कोई सूचना छुपाता है तो उस मामले में या किसी अनियमितता के मामले में, सीपीसीबी द्वारा ऐसे निकाय के पंजीकरण को, उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, तीन वर्ष की अवधि के लिए निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में, इस विनियम के खण्ड 12 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभार भी लगाए जा सकते हैं।

5.5 यदि कोई निकाय उत्पादक और पुनर्चक्रक दोनों है, तो वह निकाय उन श्रेणियों के लिए अलग से पंजीकरण कराएगा।

5.6 सीपीसीबी, संचालन समिति के अनुमोदन से आवेदकों से उचित पंजीकरण शुल्क भी प्रभारित करेगा।

6. ईपीआर व्यवस्था की पद्धतियां

6.1 सभी उत्पादकों पर निम्नानुसार ईपीआर दायित्व होंगे :

(क) नए टायरों के विनिर्माताओं/आयातकों के लिए :

क्र.सं.	वर्ष	अपशिष्ट टायर पुनर्चक्रण लक्ष्य वजन में (किलोग्राम या टन)
---------	------	--

(i)	वर्ष 2022-23 का ईपीआर दायित्व (इस विनियमन के लागू होने का वर्ष)	वर्ष 2020-21 में विनिर्मित/आयातित नए टायरों की मात्रा का 35%
(ii)	वर्ष 2023-24 का ईपीआर दायित्व	वर्ष 2021-22 में विनिर्मित/आयातित नये टायरों की मात्रा का 70%
(iii)	वर्ष 2024-25 का ईपीआर दायित्व	वर्ष 2022-23 में विनिर्मित/आयातित नये टायरों की मात्रा का 100%
(iv)	वर्ष 2024-25 (वर्ष Y) के पश्चात, वर्ष (Y-2) में विनिर्मित/आयातित नए टायरों की मात्रा का 100% ईपीआर दायित्व होगा।	
(v)	दिनांक 1 अप्रैल, 2022 के बाद स्थापित इकाइयों के लिए, ईपीआर दायित्व दो वर्ष (Y) के पश्चात शुरू होंगे और वर्ष (Y-2) में विनिर्मित/आयातित नए टायरों की मात्रा के 100% होंगे।	

(ख) अपशिष्ट टायर आयातक के लिए :

- (i) वर्ष (Y) में अपशिष्ट टायर के आयातक के लिए ईपीआर दायित्व वर्ष (Y-1) में आयातित टायर का 100% होगा।
- (ii) पाइरोलिसिस तेल/चार के उत्पादन के प्रयोजन से अपशिष्ट टायर का आयात निषिद्ध है।
- 6.2 उत्पादक के ईपीआर लक्ष्य टायर के टूट-फूट के कारण सीपीसीबी द्वारा निर्धारित कारक के आधार पर कम किया जाएगा।
- 6.3 उत्पादक अपने ईपीआर दायित्व को केवल पंजीकृत पुनर्चक्रकों से ईपीआर प्रमाण-पत्र की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से पूरा करेगा और तिमाही रिटर्न फाइल करके उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा। तिमाही रिटर्न उस तिमाही के समाप्त होने के बाद आने वाले माह के अंत तक फाइल किया जाएगा। उत्पादकों और पंजीकृत पुनर्चक्रकों द्वारा प्रदत्त ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर जांच की जाएगी। अंतर होने के मामले में उत्पादक के ईपीआर दायित्व की पूर्ति के लिए कमतर संख्या पर विचार किया जाएगा। ये प्रमाण-पत्र मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा पर्यावरणीय जांच के अधीन जारी किए जाएंगे। ये प्रमाण-पत्र मंत्रालय द्वारा अधिकृत अभिकरणों द्वारा पर्यावरणीय लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।
- 6.4 सीपीसीबी, इन विनियमों के कड़े अनुसरण में मानक प्रचालन क्रियाविधि जारी करेगा।
- 7. ईपीआर प्रमाण-पत्र का सृजन**
- 7.1 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के पक्ष में पोर्टल के माध्यम से ईपीआर प्रमाण-पत्र तैयार करेगा। ईपीआर प्रमाण-पत्र तैयार करने के लिए पात्र मात्रा की निम्नानुसार संगणना की जाएगी :

क्र.सं.	पुनर्चक्रण उपरांत अंतिम उत्पाद	अंतिम उत्पाद की मात्रा (Qp)	सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट रूपांतरण कारक (C _F)	अंतिम उत्पाद को दिया गया महत्व (W _P)	ईपीआर प्रमाण-पत्र के सृजन हेतु पात्र मात्रा (Q _{EPR} = Q _P X C _F X W _P)
1.	रबर सुधार			1.25	
2.	पुनः प्राप्त कार्बन ब्लैक			1.25	
3.	क्रम्ब रबर मोडिफाइड बिटुमन (सीआरएमबी)			1.10	
4.	क्रम्ब रबर			1.00	
5.	प्रोलाइसिस ऑयल एंड चार			0.75	

- (i) ईपीआर प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए पात्र मात्रा की निम्नलिखित सूत्र द्वारा संगणना की जाएगी :
 $Q_{EPR} = Q_P \times C_F \times W_P$
- (ii) सीपीसीबी द्वारा प्रत्येक अंतिम उत्पाद का रूपांतरण कारक C_F विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (iii) प्रौद्योगिकीय उन्नतियों, सामग्री की उपलब्धता और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए संचालन समिति द्वारा अधिभार W_P की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
- (iv) आयातित अपशिष्ट टायरों के लिए अधिभार W_P सभी श्रेणियों के लिए 1 रहेगा और अपशिष्ट टायरों के आयतकों द्वारा खरीदे गए ईपीआर प्रमाण-पत्रों को उनकी ईपीआर बाध्यता के अनुसार समायोजित किए जाने की स्थिति में अपशिष्ट टायर प्रमाण-पत्र के मान को संबंधित प्रमाण-पत्रों के W_P द्वारा विभाजित करके कम किया जाएगा।

7.2 ईपीआर प्रमाण-पत्र की वैधता, इसके तैयार किए जाने के वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के लिए होगी। वैधता समाप्त प्रमाण-पत्र, उक्त अवधि के बाद स्वतः ही अमान्य हो जाएगा जब तक कि खंड 8.2 के अनुसार पहले ही अमान्य न कर दिया हो।

7.3 प्रत्येक ईपीआर प्रमाण-पत्र के लिए बनने का वर्ष, अंतिम उत्पाद का कोड, पुनर्चक्रणकर्ता को कोड और एक विशिष्ट कोड से युक्त एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी। ये ईपीआर प्रमाण-पत्र 100, 200, 500 और 1000 मीट्रिक टन के मूल्य वर्ग या संचालन समिति के अनुमोदन से सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

8. ईपीआर प्रमाण-पत्रों का लेन-देन

8.1 कोई उत्पादक ईपीआर प्रमाण-पत्रों को वर्तमान वर्ष (वर्ष-वार) की अपनी ईपीआर बाध्यता साथ ही पूर्ववर्ती वर्षों की शेष बाध्यता और वर्तमान वर्ष की बाध्यता के 10 प्रतिशत हिस्से की सीमा तक खरीद सकता है।

8.2 जैसे ही उत्पादक ईपीआर प्रमाण-पत्र की खरीद करता है, वैसे ही यह इसकी बाध्यता के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाएगा तथा पूर्ववर्ती बाध्यता को इस समायोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार समायोजित ईपीआर प्रमाण-पत्र स्वतः समाप्त और निरस्त हो जाएगा।

8.3 प्रत्येक उत्पादक/पुनर्चक्रणकर्ता के लिए ईपीआर प्रमाण-पत्र की उपलब्धता, आवश्यकता और अन्य ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

8.4 ऐसे सभी लेन-देन को अभिलिखित किया जाएगा और उत्पादकों/पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को भरते समय ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

9. उत्पादक के उत्तरदायित्व

9.1 टायर का उत्पादक केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से ईपीआर प्रमाण-पत्रों की खरीद करके 'उत्पादक के विस्तारित दायित्व' की पूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

9.2 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर त्रैमासिक विवरणियों को, तिमाही, जिससे वह विवरणी संबंधित है, के बाद के महीने के अंत तक या उससे पहले विनिर्दिष्ट प्रपत्र में भरेगा। प्रत्येक पंजीकृत इकाई को त्रैमासिक विवरणी भरनी होगी।

10. पुनर्चक्रणकर्ता के उत्तरदायित्व

10.1 सभी पुनर्चक्रणकर्ताओं को उपयोग किए गए अपशिष्ट टायरों और तैयार किए गए अंतिम उत्पाद की मात्रा, बेचे गए ईपीआर प्रमाण-पत्र से संबंधित सूचना और ऐसी अन्य संबद्ध सूचना को सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में पोर्टल पर मासिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा।

10.2 सभी पुनर्चक्रणकर्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर त्रैमासिक विवरणियों को, तिमाही, जिससे वह विवरणी संबंधित है, के बाद के महीने के अंत तक या उससे पहले विनिर्दिष्ट प्रपत्र में भरेगा।

11. पंजीकरण, वार्षिक विवरणियों को भरने, ईपीआर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और सामग्रियों का पता लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल

11.1 सीपीसीबी, पंजीकरण के साथ-साथ त्रैमासिक विवरणियों भरने, ईपीआर प्रमाण-पत्र को तैयार और समायोजित करने तथा पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा मासिक सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा।

11.2 यह वेब पोर्टल, अपशिष्ट टायरों के लिए ईपीआर के क्रियान्वयन से संबंधित विनियमों और दिशा-निर्देशों के संबंध में एकल बिंदु आंकड़ा संग्रह के रूप में कार्य करेगा। इस वेब पोर्टल में अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना उपलब्ध होगी :

- (i) **उत्पादक के लिए-** अलग-अलग वर्षों के नए टायरों का आयात/उत्पादन, अपशिष्ट/नए टायरों की मात्रा, ईपीआर प्रमाण-पत्र की खरीद के संबंध में त्रैमासिक विवरणी, प्रत्येक वर्ष के लिए ईपीआर बाध्यता का समायोजन, वर्तमान वर्ष की ईपीआर बाध्यता और पूर्ववर्ती वर्षों की अग्रानीत बाध्यता।
- (ii) **पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए-** पुनर्चक्रित सामग्री और अंतिम उत्पाद संबंधी सूचना और मात्रा प्रस्तुत करने के लिए सुविधा तथा तैयार किए गए और बेचे गए ईपीआर प्रमाण-पत्र। यह सुनिश्चित किया जाए कि अपशिष्ट टायर के आयातक के मामले में ईपीआर के मान को इसे **Wp** द्वारा विभाजित करके कम किया जाए।
- (iii) इस पोर्टल में विभिन्न उत्पादकों की वर्तमान अपूर्ण ईपीआर बाध्यताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं के पास ईपीआर प्रमाण-पत्र की मात्रा और उत्पादकों के पास अतिरिक्त ईपीआर प्रमाण-पत्रों से संबंधित सूचना उपलब्ध होगी।
- (iv) संचालन समिति के अनुमोदन से इन विनियमों के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य सुविधा।

11.3 ऑनलाइन वेब पोर्टल को विकसित किए जाने तक, ईपीआर के क्रियान्वयन से संबंधित सभी कार्यकलाप ऑफलाइन रीति से किए जाएंगे।

11.4 सीपीसीबी, विद्यमान उपबंधों के अनुसरण में, इस ईपीआर विनियम के लिए सभी संगत प्रपत्रों/विवरणियों का प्रारूप विनिर्दिष्ट करेगा।

11.5 सीपीसीबी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक और पुनर्चक्रणकर्ताओं से समुचित प्रोसेसिंग/पंजीकरण शुल्क वसूल कर सकेगा।

12. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

12.1 इन विनियमों में निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा न करने और गलत ईपीआर प्रमाणपत्र के उपयोग के मामले में सीपीसीबी उत्पादकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने और संग्रहित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। उक्त दिशानिर्देश इस विनियम के अनुसार होंगे और कार्यान्वयन से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

12.2 गलत ईपीआर प्रमाणपत्र जारी करने और गलत जानकारी उपलब्ध कराने पर पुनर्चक्रणकर्ताओं से पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी वसूली जाएगी।

12.3 यह अपंजीकृत उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और ऐसी किसी भी संस्था पर भी लगाया जाएगा जो इन विनियमों के उल्लंघन में सहायता अथवा उसके लिए प्रोत्साहित करती है।

12.4 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान इन विनियमों में निर्दिष्ट दायित्वों के उत्पादकों को मुक्त नहीं करेगा। किसी विशेष वर्ष के लिए अधूरी ईपीआर दायित्व को अगले वर्ष तक और इस प्रकार से 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जाएगा। यदि ईपीआर दायित्व की कमी को 1 वर्ष के बाद दूर किया जाता है, तो लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 85% उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा, यदि ईपीआर दायित्व की कमी को 2 वर्ष के बाद दूर किया जाता है तो, लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 60% उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा और यदि ईपीआर दायित्व की कमी को 3 वर्ष के बाद दूर किया जाता है, तो लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 30% उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा, तत्पश्चात उत्पादकों को कोई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वापस नहीं की जाएगी।

12.5 गलत जानकारी के परिणामस्वरूप वास्तविक पुनर्चक्रित अपशिष्ट के 5% से अधिक पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा ईपीआर प्रमाणपत्रों का सृजन अधिक होने के परिणामस्वरूप पंजीकरण का निरसन हो जाएगा और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाया जाएगा जो वापस नहीं होगा।

12.6 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत एकत्रित निधि को सीपीसीबी द्वारा अलग से एक निलंब लेखा (एसक्रो अकाउंट) में रखा जाएगा। एकत्र न किए गए ऐसे अपशिष्ट टायर, जिन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाती है – जिनका जीवन चक्र समाप्त हो गया है/पुनर्चक्रणीय, के निपटान और ऐसे टायर, जिनका जीवन चक्र समाप्त नहीं हुआ है/गैर-पुनर्चक्रणीय, के निपटान और एकत्रण में संग्रहित की गई निधियों का उपयोग किया जाएगा, अन्यथा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपयोग किया जाएगा। संचालन समिति द्वारा निधियों के उपयोग के लिए तौर-तरीकों की सिफारिश की जाएगी और उन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो इस संबंध में अनुदेश भी जारी कर सकता है।

13. अभियोग

ऐसे किसी भी व्यक्ति, जो ईपीआर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए इन विनियमों के तहत अपेक्षित जानकारी को गलत उपलब्ध कराता है, किसी भी तरीके से गलत/फर्जी ईपीआर प्रमाणपत्र का उपयोग करता है या कारण बनता

है, वास्तविक पुनर्चर्कित अपशिष्ट के 5% से अधिक ईपीआर प्रमाणपत्र सृजित करता है, जान बूझकर इन विनियमों के तहत दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है। यह अभियोजन उपरोक्त खंड 12 के तहत लगाए गए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा।

14. सत्यापन और लेखा परीक्षा

सीपीसीबी स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से उत्पादकों/पुनर्चक्रणकर्ताओं के अनुपालन को उचित समझे जाने पर सत्यापित करेगा। ईपीआर लक्ष्य, दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा न करने और उसके उल्लंघनों पर विनियमन के खंड 12 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

15. अपशिष्ट टायर के लिए ईपीआर व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति

15.1 अपशिष्ट टायर के लिए ईपीआर व्यवस्था के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अध्यक्ष, सीपीसीबी या उनके नामिती व्यक्ति की अध्यक्षता में एक संचालन समिति (एससी) होगी। संचालन समिति में अध्यक्ष के अलावा निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

- क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि।
- ख) ऑटोमोबाइल टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि।
- ग) रिसाइकलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि (अर्थात् पुनर्निर्मित रबर के निर्माता, क्रम्ब रबर, क्रम्ब रबर मोडिफाइड बिटुमन, पुनःप्राप्त कार्बन ब्लैक और टायर पायरोलिसिस ऑयल मैनुफैक्चर्स)।
- घ) संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा सहयोजित एसपीसीबी/पीसीसी के प्रतिनिधि।
- ङ) सीपीसीबी के संबंधित प्रभाग के प्रमुख - सदस्य संयोजक।

15.2 इन विनियमों के संपूर्ण कार्यान्वयन, निगरानी और देखरेख के लिए संचालन समिति उत्तरदायी होगी। यह समिति समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों और इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर भी निर्णय लेगी और इस विनियम से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण विषय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगी।

15.3 संचालन समिति मंत्रालय के अनुमोदन के साथ प्रौद्योगिक उन्नति और अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्चक्रण के तरीकों के लक्ष्य, महत्व और अनुमेयता की समीक्षा और उनमें संशोधन करेगी।

16. समस्याओं को दूर करने की शक्ति

संचालन समिति के पास इन ईपीआर विनियमों के सुचारू कार्यान्वयन में आई किसी भी समस्या को दूर करने की शक्ति होगी।

[फा. सं. 09/6/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

S.O. 5497(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for bringing out regulations for extended producer responsibility (EPR) for waste tyre is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public and other stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or vinodsingh.77@gov.in.

Draft Notification

Whereas, a committee was constituted for Circular Economy in Tyre and Rubber Recycling Industry to prepare a comprehensive action plan for transformational change for managing the waste tyre;

And whereas, the committee included the representatives of National Institute for Transforming India (NITI Aayog), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry, Central Pollution Control Board, National Highway Authority of India Limited, CSIR-National Environmental Engineering Research Institute, Maharashtra Pollution Control Board, United Nations Development Programme (UNDP) India, Indian Oil Corporation Ltd, All India Rubber & Tyre Recyclers Association (AIRTRA), Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA), Indian Rubber Manufacturers Research Association (IRMRA), Tina Rubber and Infrastructure Limited, Aditya Birla Group, GRP Ltd etc;

And whereas, the Ministry consulted with all stakeholders on Circular Economy in Tyre and Rubber Recycling Industry to prepare a comprehensive action plan for transformational change for managing the waste tyre;

And whereas, using the outcomes of a series of stakeholder meetings and the inputs of the expert committee on the subject, report on Tyre Scrap: Circular Economy was formulated by the Ministry which inter-alia included recommendations on EPR for managing the waste tyre. This was approved by the Competent Authority in the Ministry and submitted to NITI Aayog in August, 2021;

Now therefore, in exercise of powers conferred under sub rule (3) of the rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, hereby notifies the Regulations on the Extended Producer Responsibility for waste tyre under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, as amended from time to time, as follows:

Regulation on Extended Producer Responsibility for Waste tyres

1. Background

1.1 The Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, mandated for management of hazardous and other wastes. Waste pneumatic and other tyre is classified as other waste and is listed in Schedule – III, Part B at Basel No. B-3140.

1.2 Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India proposes to have Extended Producer Responsibility regulations for managing the waste tyres. This regulation is prepared for achieving resource efficiency in tyres by meeting the sustainable development goals and making the economics of waste tyre a circular one by managing the waste tyre in an environmentally sound manner.

2. Date of Coming into Effect

This regulation shall come into force **from the Financial Year 2022-23**.

3. Definitions

- (a) **'Business'** means any activity of production/manufacturing of new tyres, import of new/waste tyres and recycling of waste tyres.
- (b) **'Conversion factor'** means units of waste tyre needed to produce one unit of each recycling product and would be prescribed by CPCB as per clause 7.1 (ii)
- (c) **'Environmentally sound management of waste tyre'** means taking all steps required to ensure that waste tyre is managed in a manner which shall protect health and environment against any adverse effects, which may result from such waste tyre;
- (d) **'Extended Producer Responsibility'** means responsibility of producer of tyre to ensure environmentally sound management of such waste tyre as per the provisions of this regulation.
- (e) **'Producer'** means any person or entity who;

- (i) manufactures new tyre; or/and
 - (ii) imports new tyre; or/and
 - (iii) imports waste tyre.
- (f) **‘Recycling’** means any process or action of converting Tyre waste into following end products, in an environmentally sound manner and having facilities as elaborated in the SOPs / guidelines as given by CPCB:
- a) Reclaimed rubber
 - b) Crumb rubber
 - c) Crumb rubber modified bitumen (CRMB)
 - d) Recovered Carbon black
 - e) Pyrolysis oil/Char
- (g) **‘Recycler’** means any entity engaged in the process of recycling.
- (h) **‘Recycling Target’** means quantity of waste tyre to be recycled as per the provisions of clause 6 of this regulation.
- (i) **‘SOP’** means Standard Operating Procedure, a document prepared by CPCB elaborating minimum requirement of equipment and processes.
- (j) **‘Guidelines’** means a document prepared by CPCB elaborating minimum requirement for achieving environmentally sound management of waste tyres including handling, collection, transportation and storage and recycling of waste tyre.
- (k) **‘Portal’** means the online mechanism developed by CPCB for implementation of this EPR regulation.
- (l) **‘Waste tyre’** means any tyre that is no longer mounted on a vehicle and is no longer used for its intended purpose.

4. Entities to be covered under EPR Regulations

The following entities will be covered under the EPR obligations under this regulation:

- (i) Producer.
- (ii) Recycler of waste tyre.

5. Registration

5.1 The following entities shall register on the centralized portal of CPCB:

- a) Producer.
- b) Recycler of waste tyre.

5.2 No entity shall carry out any business without registration.

5.3 The entities registered under clause 5.1 shall not deal with any unregistered producer/recycler.

5.4 In case, any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for getting registration or return /report/information required to be provided/furnished under this regulation or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by CPCB for a period up to three-years after giving an opportunity to be heard. In addition, environmental compensation charges may also be levied as per clause 12 of this regulation in such cases.

5.5 In case any entity is producer as well as recycler, then the entity shall register under those categories separately.

5.6 The CPCB may charge reasonable registration fees from the applicants with the approval of the steering committee.

6. Modalities of the EPR Regime

6.1 All producers shall have EPR obligations as under:

(a) For manufacturers/importers of new tyres:

Sl. No	Year	Waste Tyre Recycling Target in Weight (KG or Tons)
(i)	EPR obligation of the Year 2022-23 (The year in which this regulation comes into force)	35% of the quantity of new tyres Manufactured/imported in Year 2020-21
(ii)	EPR obligation of the Year 2023-24	70% of the quantity of new tyres Manufactured/imported in Year 2021-22
(iii)	EPR obligation of the Year 2024-25	100% of the quantity of new tyres Manufactured/imported in Year 2022-23.
(iv)	After 2024-25 (Year Y), the EPR obligation will be 100% of the quantity of new tyres manufactured/imported in the year (Y-2).	
(v)	Units established after 1 st April, 2022, the EPR obligation will start after two years (Y) and will be 100% of the new tyres manufactured/imported in the year (Y-2).	

(b) For waste tyre importer:

(i) The EPR obligation for waste tyre importer in year (Y) will be 100% of the tyre imported in year (Y-1)

(ii) The import of waste tyre for the purpose of producing pyrolysis oil/ char is prohibited.

6.2 The EPR target of producer would be reduced by a factor prescribed by CPCB on account of wear and tear of Tyre.

6.3 The Producer shall fulfill their EPR obligation through online purchase of EPR Certificate from registered recyclers only and submit it online by filing quarterly return. The quarterly return shall be filed by the end of the month succeeding the end of the quarter. The details provided by Producers and registered recyclers will be cross-checked on the online portal. In case of difference, the lower figure would be considered towards fulfilment of EPR obligation of Producer. The certificates shall be subject to environmental audit by the agencies authorized by the Ministry.

6.4 The CPCB will issue standard operating procedure strictly in accordance with these regulations.

7. EPR Certificate Generation

7.1 The Central Pollution Control Board shall generate EPR certificate through the portal in favour of a registered recycler in the format as prescribed by CPCB. The eligible quantity for generating EPR Certificates will be calculated as under:

S. No.	End Product of recycling	Quantity of End Product (Q _p)	Conversion factor prescribed by CPCB (C _F)	Weightage allocated to the end product (W _P)	Quantity eligible for generation of EPR certificate (Q _{EPR} = Q _P x C _F x W _P)
1.	Rubber Reclamation			1.25	
2.	Recovered Carbon			1.25	

	black				
3.	Crumb rubber Modified Bitumen (CRMB)			1.10	
4.	Crumb rubber			1.00	
5.	Pyrolysis oil and char			0.75	

(i) The quantity eligible for generation of EPR certificate will be calculated by the following formula:

$$Q_{EPR} = Q_P \times C_F \times W_P$$

(ii) Conversion factor C_F for each end product will be prescribed by CPCB.

(iii) The weightage W_P will be reviewed by the Steering Committee from time to time in view of the technological advancements, availability of material and other factors.

(iv) The weightage W_P for imported waste tyres shall be 1 for all categories and the value of waste tyre certificate will be reduced by dividing it by W_P of respective certificates when the EPR certificates purchased by waste tyre importer are adjusted against their EPR obligation.

7.2 The validity of the EPR certificate will be 2 years from the end of the financial year in which it was generated. The expired certificate automatically extinguished after the period unless extinguished earlier as per clause 8.2.

7.3 Each EPR certificate will have a unique number containing year of generation, code of end product, recycler code and a unique code. The EPR certificates will be in the denominations of 100, 200, 500 and 1000 Metric Tonnes or as may be prescribed by CPCB with the approval of Steering Committee.

8. Transaction of EPR Certificates

8.1 A producer can purchase EPR certificates limited to its EPR liability of current year (Year Y) plus any leftover liability of preceding years plus 10% of the current year liability.

8.2 As soon as the producer purchases EPR certificate, it will be automatically adjusted against its liability, Priority in adjustment will be given to earlier liability. The EPR certificate so adjusted will be automatically extinguished and cancelled.

8.3 The availability, requirement and other details of the EPR certificate for every producer/ recycler will be made available on the portal.

8.4 All such transactions shall be recorded and submitted by the Producers/recyclers on the online portal at the time of filing quarterly returns.

9. Responsibilities of the producer

9.1 The producer of tyre shall be responsible for fulfillment of Extended Producers Responsibility by purchasing EPR certificates from registered recyclers only.

9.2 File quarterly returns in prescribed Form on the portal of Central Pollution Control Board on or before end of the month succeeding the quarter to which the return relates. Each registered entity shall have to file the quarterly return.

10. Responsibilities of the recycler

10.1 All the recycler shall submit on monthly basis the information regarding quantity of waste tyres used and end product produced, EPR Certificate sold and such other relevant information on the portal in the form prescribed by CPCB.

10.2 All the recycler shall file quarterly returns in prescribed Form on the portal of Central Pollution Control Board on or before end of the month succeeding the quarter to which the return relates.

11. Online Portal for registration, filing of annual returns, EPR Certificate and tracing of Materials

- 11.1 CPCB shall establish an online system for the registration as well as for filing of quarterly returns, generation and adjustment of EPR Certificate, submission of monthly information by recyclers.
- 11.2 The web portal would act as the single point data repository with respect to regulations and guidelines related to implementation of EPR for waste tyre. The web portal shall have, in addition to other the following information:
- (i) **For producer** – import/ production of new tyres of different years, quantity of waste / new tyres, quarterly return in respect of EPR Certificate purchase, adjustment of EPR obligation for each year, the current year EPR obligation and brought forward obligation of preceding years.
 - (ii) **For recyclers** - facility for submitting information and quantity of recycled material and end product, EPR Certificate generated and sold. It must ensure that value of EPR is reduced by diving it by W_p in case of waste tyre importer.
 - (iii) The portal shall provide information with respects to current unfulfilled EPR obligations of different producers, the quantity of EPR Certificate with recyclers and surplus EPR Certificate with producers.
 - (iv) Any other facility which is required to streamline the implementation of these regulations with approval of Steering Committee.
- 11.3 Till the online web portal is developed all activities related to implementation of EPR will be done in offline manner.
- 11.4 The CPCB will prescribe format of all the relevant forms/returns for this EPR regulation, in accordance with the forgoing provisions.
- 11.5 The CPCB may charge appropriate processing/registration fee from the producer and recyclers through online portal.

12. Environmental Compensation

- 12.1 CPCB shall lay down guidelines for imposition and collection of environment compensation on the Producers in case of non-fulfilment of obligations set out in this regulations and use of falls EPR Certificate. The said guidelines shall be in accordance with this regulation and will be approved by MoEF&CC before implementation.
- 12.2 The Environment Compensation shall also be levied on the recyclers for issue of falls EPR Certificate and providing false information.
- 12.3 It shall also be levied on unregistered producers, recyclers and any entity which aids or abets the violation of these regulation.
- 12.4 Payment of environmental compensation shall not absolve the Producers of the obligation set out in these regulations. The unfulfilled EPR obligation for a particular year will be carried forward to the next year and so on and up to 3 years. In case, the shortfall of EPR obligation is addressed after 1 year, 85% of the environmental compensation levied shall be returned to the Producers, In case, the shortfall of EPR obligation is addressed after 2 year, 60% of the environmental compensation levied shall be returned to the Producers, and in case, the shortfall of EPR obligation is addressed after 3 year, 30% of the environmental compensation levied shall be returned to the Producers, thereafter no EC will be returned to the producer.
- 12.5 Falls information resulting in over generation of EPR certificates by recycler above 5% of the actual recycled waste will result in revocation of registration and imposition of EC which shall not be returnable.
- 12.6 The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate Escrow account by CPCB. The funds collected shall be utilized in collection and recycling/end of life disposal of uncollected and non-recycled/ non-end of life disposal of waste tyres on which the environmental compensation is levied, and on other heads as decided by the committee. Modalities for utilization of

the funds would be recommended by the Steering Committee and approved by the Competent Authority in MoEF&CC, which may also issue instructions in this regard.

13. Prosecution

Any person, who provides incorrect information required under these regulations for obtaining EPR certificates, uses or causes to be used false/forged EPR certificates in any manner, over generates EPR certificates above 5% of the actual waste recycled, willfully violates the directions given under these regulations or fails to cooperate in the verification and audit proceedings, may be prosecuted under section 15 of Environment Protection Act, 1986. This prosecution will be in addition to the EC levied under clause 12 above.

14. Verification and Audit

CPCB by itself or through a designated agency shall verify compliance of Producers/recyclers through inspection and periodic audit, as deemed appropriate. The actions against violations and for non-fulfillment of EPR target, obligations and responsibilities shall be as per clause 12 of this regulation.

15. Steering Committee for implementation of EPR Regime for waste tyre

15.1 There shall be a Steering Committee (SC) under the Chairmanship of Chairman, CPCB or his nominee to oversee the overall implementation of EPR regime for waste tyre. The Steering Committee will comprise of following members in addition to the chair:

- a) Representative of MoEF & CC.
- b) Representatives of Automobile Tyre Manufacturers Associations.
- c) Representatives of Recycler Associations (i.e. manufacturer of reclaimed rubber, crumb rubber, crumb rubber modified bitumen, recovered carbon black and tyre pyrolysis oil manufacturers).
- d) Representatives of SPCB/PCC as co-opted by the chairman of the Steering Committee.
- e) Head of the Concerned Division of CPCB - Member Convener.

15.2 The steering committee shall be responsible for overall implementation, monitoring and supervision of these regulation. It will also decide upon the disputes arisen from time to time and on representations received in this regard, and shall refer to MoEF&CC any substantial issue arisen, pertaining to this regulation.

15.3 The steering committee will review and revise the targets, weightage and permissibility of modes of recycling in view of the technological advancements and other factors with the approval of the Ministry.

16. Power to remove difficulties

The Steering Committee will have power to remove any difficulty in smooth implementation of these EPR regulations.

[F. No. 09/6/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

p